रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 8, 2019/पौष 18, 1940
No. 15] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 8, 2019/PAUSHA 18, 1940

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि. 15(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 को, जहां तक उनका संबंध प्रयोगशाला सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली में कनिष्ठ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम कलावती सरन बाल अस्पताल, कनिष्ठ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि** – भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता :** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान	चयन पद या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रोद्योगिकीविद्	9* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', राअजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300/- रुपए)	लागू नहीं होता।	18 से 27 आयु के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण :-** आयु -सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षदीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं|	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।**
(7)	(8)	(9)
आवश्यक: 1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय सहित 12 वीं उत्तीर्ण; और 2. किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा सहित सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव। वांछनीय: चिकित्सा प्रयोगशाला विज्ञान में स्नातक डिग्री| **टिप्पण-1** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं| **टिप्पण -2** अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों/जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है|	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।**
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा:- **टिप्पण** - पदधारी के प्रतिनियुक्त पर या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों में कारण से एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्ति को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के उन अधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी जो – क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हों; और (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपए) में स्तर 4 उन पदों में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हों; और ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए तथा विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों|	लागू नहीं होता।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी - अपर चिकित्सा अधीक्षक, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष प्रयोगशाला विभागाध्यक्ष, कलावती सरन बाल अस्पताल , नई दिल्ली – सदस्य उप निदेशक प्रशासन, चिकित्सा अस्पताल अनुभाग के प्रभारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य उप निदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज तथा श्रीमती सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल, नई दिल्ली -सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए.12018/01/2016- एम एच-II]

जी. पी. सामंता, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2018

G.S.R. 15(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1981, insofar as they relate to the post of Laboratory Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Medical Laboratory Technologist, Kalawati Saran Children's Hospital , New Delhi, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Junior Medical Laboratory Technologist, Kalawati Saran Children's Hospital (Group 'C' post), Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix or pay scale. – The number of the said post, its classification and level in the pay matrix or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Junior Medical Laboratory Technologist.	9* (2018) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 in the Pay matrix (Rs. 29200-92300).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Between 18 to 27 years (Relaxable for departmental candidates up to forty years in the case of general candidates and forty five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep).	**Essential:** i. Twelfth class pass with Science subjects from a recognized Board; and ii. Diploma in Medical Laboratory Technology from any recognised institution with one year experience in relevant field. Desirable: Bachelor Degree in Medical Laboratory Science. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** Qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)

Not applicable.	Two years.	Direct recruitment. **Note :** Vacancy caused by the incumbent being away on deputation or long illness or Study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government or State Government or Union Territories- (a)(i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years regular service in the posts in Level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100); and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: Additional Medical Superintendent, Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi -Chairman Head of the Laboratory Department, Kalawati Saran Children's Hospital , New Delhi -Member Deputy Director Administration, in - charge of Medical Hospital Section of Directorate General of Health Services -Member Deputy Director of Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi. -Member	Not applicable.

[F. No. A.12018/01/2016-MH-II]

G.P. SAMANTA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.01.11 12:30:48 +05'30'